न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 41/2024

प्रार्थी :–

1. श्रीमति संतोष पत्नी हीराराम
2. श्रीमति सीता पत्नी राजूराम जातियान जाट निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कोजाराम पुत्र दूदाराम
2. प्रदीप चौधरी पुत्र रामदीन
3. सुखडी पत्नी रामदीन जातियान जाट निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. लादूराम पुत्र सगराम जाति जाट निवासी बीरावास तहसील बिलाडा
5. मांगाराम पुत्र हरलाल जाति राईका निवासी बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी – श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 6 –सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांकः–** 5/5/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 423/4 रकबा 15 बीघा तथा खसरा नम्बर 423/3 रकबा 7 बीघा आयी हुयी है, जिसकी खातेदारी दूदाराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी की थी। खातेदार दूदाराम पुत्र कालूराम ने अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 423/4 रकबा 15 बीघा में से 11 बीघा का सबसे पहला बैचाननामा दिनांक 24.03.2006 को प्रार्थीगण श्रीमति संतोष पत्नी हीरालाल व श्रीमति सीता पत्नी राजराम को रजिस्टर्ड बैचान कर दिया एवं कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया। रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 24.03.2006 के आधार पर खसरा नम्बर 423/4 रकबा 11 बीघा (वर्तमान खसरा नम्बर 423/5) म्यूटेशन संख्या 638 स्वीकृत किया गया। जिसके बैचाननामा दिनांक 24.03.2006 के नाप व पड़ौस की विगत निम्नानुसार है उत्तर में –सुगनपुरी स्वामी की भूमि, दक्षिण में –लादुराम सेगंवा की भूमि, पूर्व में –इसी खसरे की बची हुई 4 बीघा भूमि, पश्चिम में – सुगनपुरी स्वामी की भूमि स्थित है। बैचान रजिस्ट्री दिनांक 24.03.2006 में लिखे पड़ौस के अनुसार खातेदर दूदाराम पुत्र कालूराम द्वारा बैचान की गई भूमि खसरा नम्बर 423/4 रकबा 11 बीघा (वर्तमान खसरा नम्बर 423/5) के पड़ौस उत्तर में सुगनपुरी स्वामी की भूमि, दक्षिण में लादूराम सेगंवा की भूमि, पूर्व में इसी खसरे की बची हुई 4 बीघा भूमि, पश्चिम में सुगनपुरी स्वामी की भूमि स्थित है, इस प्रकार बैचाननामा दिनांक 24. 03.2006 के उत्तर दिशा की ओर खसरा नम्बर 371 स्थित है, इसी पड़ौस स्थित भूमि के अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण का चला आ रहा है। अतः वैचाननामा दिनांक 24.03.2006 के अनुसार लिखे पड़ौस अनुसार का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा, तरमीमशुदा खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 423/5 रकबा 11 बीघा का बंटवाड़ा कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गयी और हल्का पटवारी ने नक्शा ट्रेस व जमाबंदी आदि को देने हेतु का निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन नक्शा ट्रेस देखकर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थीगण को बताया कि आपकी खरीदशुदा खातेदारी भूमि को ऑनलाईन नक्शा में कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम दर्शा दी गयी है, फिर भी हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण को कहा कि आप तहसीलदार साहब के पास जाकर सम्पर्क करो, जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब के पास जाकर सम्पर्क किया और कब्जे से भिन्न स्थान की तरमीम दुरुस्ती करने हेतु का आग्रह किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने प्रार्थीगण को बताया कि अ०नलाईन नक्शा में आपकी तरमीम को भूलवश कब्जे ये भिन्न स्थान पर दर्शा दी गयी है, आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आ जाओ आपकी भूमि की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में पुनः सही दर्ज कर दी जायेगी। ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 423/5 रकबा 1.7798 हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस में कब्जे से भिन्न स्थान पर की गयी तरमीम को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है। अतः कब्जेनुसार तरमीम संशोधन किया जाना आवश्यक है। ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 423/5 रकबा 1.7798 हैक्टेयर भूमि को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस या सूचना दिये बिना ही उसकी खरीदशुदा भूमि से भिन्न स्थान पर तरमीम दर्शा दी गयी है। मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने या किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है। अतः हल्का पटवारी को बिना कोई निर्णय या आदेश के ही अनाधिकृत तौर से बैचाननामा दिनांक 24.03.2006 में दर्ज पड़ौस से भिन्न स्थान पर तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में भूमि खसरा नम्बर 423/5 रकबा 1.7798 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम को दर्शा दिया है, इस आधार पर की गयी ऑनलाईन तरमीम को नक्शा में पुनः संशोधित तरमीम करने का अधिकार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत का है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 423/5 रकबा 1.7798 हैक्टेयर की नक्शा ट्रेस (ऑनलाईन) में दर्ज गलत तरमीम को निरस्त करने का आदेश फरमावें। ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 423/5 रकबा 1.7798 हैक्टेयर के नक्शा ट्रेस (ऑनलाईन) (प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार) में कब्जे अनुसार पुनः तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 6 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बिन्दु सं. 1 राजस्व रेकर्ड अनुसार सही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 517/423, 518/423, 423/1 तथा 423/2 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की तरमीम में संशोधन किये जाने पर इन खसरों की सीमाओं में परिवर्तन होगा। इस उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो भूमिधारी/तहसीलदार बिलाडा को कोई आपति नहीं है प.ह. बिरावास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.03.2025 को जवाब का भाग माना जावें। तस्दीक उपरोक्त जवाब राजस्व रेकर्ड एवं मेरी निजी ज्ञान अनुसार सही है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सरकारी पेरोकार द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं फर्द मौका रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम बिरावास के खसरा नंबर 423/5 रकबा 1.7798 हैक्टयर प्रार्थीगण की रेकर्डेड सहखातेदारी है। लेकिन नक्शा ट्रेस में भूमि खसरा नम्बर 423/5 की तरमीम गलत कब्जे से भिन्न दर्शायी गयी है। प्रार्थी के वांछित तरमीम के अनुसार खसरा नंबर 371, 423/1, 423/4 आदि जो वादग्रस्त खसरे से चिपते हुए है जिनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था किन्तु प्रार्थी द्वारा रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही पक्षकार बनाये जाने का कारण स्पष्ट किया। तहसीलदार बिलाडा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट बताया कि वादग्रस्त खसरा की तरमीम में संशोधन किये जाने पर अन्य खसरों की सीमाओं पर भी परिवर्तन होगा। अतः सभी प्रभावित रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बिना पत्रावली का निर्णय करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:–आदेश–:

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को प्रभावित खसरों के काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/5/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा